



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122020-223692
CG-DL-E-12122020-223692

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3962]
No. 3962]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4509(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 2315 (अ) तारीख 13 जुलाई, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -2ए खंड-3, उपखंड ;पपद्धए में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 547-ई के ४.७०० कि.मी. से ३३.५७५ कि.मी. तक के भूखण्ड (साओनेर-धापेवाडा-कलमेष्वर-गोंडखैरी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 28 जुलाई 2020 तारीख को “लोकमत” (मराठी) और “दैनिक भास्कर” (हिंदी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम अधिकारी ने उस पर विचार कर लिया है और आक्षेपों का अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 547-ई के कि.मी ४.७०० से ३३.५७५ तक (सावनेर-धापेवाडा-कलमेश्वर-गोंडखैरी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नागपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कलमेश्वर					
गांव का नाम: ब्राम्हनी					
1	49 .	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.09	प्रमोद मधुकर गुहे (४९)
2	50 .	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.04	मिना शाम फुटाने , आनंदी सुभाषराव समरीत , आशा शेषराव येवले (५०)
गांव का नाम: चिंचभुवन					
3	8/1	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0126	प्रमिलाबाई भगवतीप्रसाद डागा (८/१)
गांव का नाम: सावंगी					
4	113/1	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.0385	विनय रघुनंदन अग्रवाल , शेख कलाम सादिक (११३/१)
तालुक का नाम: सावनेर					
गांव का नाम: उमरी (रिठी)					
1	2/20	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0032	सुरेंद्र गंगाधर नाईक (२/२०)
2	2/21	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.003	खडेलाल वैजनाथ साहु (२/२१)
3	2/21	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0025	विजय संतोषराव अंजनकर (२/२१)
4	2/22	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0055	संतोष शिवप्रसाद गुप्ता (२/२२)

5	2/23	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0078	बडेलाल वैजनाथ साहू (२/२३)
6	2/24	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.01	योगेश हरीभाउ कमाले (२/२४)
7	2/25	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0115	अरुण जनार्दन पाटील (२/२५)
8	2/26	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.013	धमनोज मोहनलाल बसवार , निर्मलाबाई मोहनलाल बसवार , विजय मोहनलाल बसवार , राजेश मोहनलाल बसवार (२/२६)
9	2/27	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0049	धमनोज मोहनलाल बसवार , निर्मलाबाई मोहनलाल बसवार , विजय मोहनलाल बसवार , राजेश मोहनलाल बसवार (२/२७)
10	2/28	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0024	धमनोज मोहनलाल बसवार , निर्मलाबाई मोहनलाल बसवार , विजय मोहनलाल बसवार , राजेश मोहनलाल बसवार (२/२८)
			कुल	0.2449	

[फा. सं. NH-12037/84/2015-MAH-2/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2020

S.O. 4509(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. No. 2315 (E), dated the 13th July, 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four- laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 547-E, in the stretch of land from Km. 4.700 to Km. 33.575 (Saoner-Dhapewada- Kalmeshwar- Gondkhairi Section) in the District of Nagpur in the state of Maharashtra. Hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Lokmat" (Marathi) and "Dainik Bhaskar" (Hindi) both dated 28th July 2020, under sub- section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from Km. 4.700 to Km. 33.575 (Saoner- Dhapewada-Kalmeshwar-Gondkhairi Section) on the National Highway No.547-E in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: NAGPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kalameshwar				
	Village: Bamhni (CT)				
1	49 .	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.09	Pramod Madhukar Guhe 49
2	50 .	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.04	Mina Shyam Futane , Anandi Subhashrao Sarmit , Asha Sheshrao Yeole 50
	Village: Chinchbhuwan				
3	8/1	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0126	Pramilabai Bhagwatiprasad Daga 8/1
	Village: Sawangi				
4	113/1	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.0385	Vinay Raghunandan Agrawal , Sheikh Kalam Sadiq 113/1
	Taluk: Saoner				
	Village: Umari (Rithi)				
1	2/20	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0032	Surendra Gangadhar Naik 2/20
2	2/21	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.003	Badelal Baijnath Sahu 2/21
3	2/21	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0025	Vijay Santoshrao Anjankar 2/21
4	2/22	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0055	Santosh Shivprasad Gupta 2/22
5	2/23	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0078	Badelal Baijnath Sahu 2/23
6	2/24	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.01	Yogesh Haribhau Kamale 2/24
7	2/25	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0115	Arun Jandardan Patil 2/25

8	2/26	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.013	Manoj Mohanlal Baswar , Nirmalabai Mohanlal Baswar , Vijay Mohanlal Baswar , Rajesh Mohanlal Baswar 2/26
9	2/27	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0049	Manoj Mohanlal Baswar , Nirmalabai Mohanlal Baswar , Vijay Mohanlal Baswar , Rajesh Mohanlal Baswar 2/27
10	2/28	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0024	Manoj Mohanlal Baswar , Nirmalabai Mohanlal Baswar , Vijay Mohanlal Baswar , Rajesh Mohanlal Baswar 2/28
			TOTAL	0.2449	

[F.No. NH-12037/84/2015-MAH-2/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.